(f) if so, what steps are being taken by IDBI to use ISI mark appliances in all it's offices and Bank quarters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that as per the existing norms it has provided residential accommodation to more than 30 per cent and 40 per cent of IDBI Clerical and Subordinate Staff respectively. It has also taken steps to acquire more residential accommodation and plots for construction of quarters. Staff members are also encouraged to acquire their own houses assisted through concessional housing loans given by IDBI.

(d) Yes, Sir.

(e) IDBI has reported that Non-ISI mark geysers/water heaters at the Ghatkopar Staff Quarters were provided by the Maharashtra Housing Board at the time of acquisition of these flats from them as part of a package deal. These geysers have generally given satisfactory service for the past 12 years.

(f) IDBI generally prefers to install electrical equipment and appliances bearing the ISI mark. However, when an electrical equipment or appliance is produced by a reputed manufacturer and is of reliable quality, it is not rejected on the ground that it does not bear ISI mark.

Income tax exemption to Bharat Yuva Shakti Trust

1078. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bharat Yuva Shakti Trust has received exemption from tax facilities under the Income-tax Act; and

(b) if no, the details of the said trust, and the names of the donors and trustees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) (a) Yes, Sir. Bharat Yuva Shakti Trust has been granted a recognition certificate under section 80G of the Income-tax Act, 1961 for the period 21-1-1991 to 31-3-1993.

(b) The trust was created on 18-1-1991 with a donation of Rs. 1000/- from Shri H. P. Nanda. The main object of the trust, *inter alia*, is to undertake and promote scientific research in evolving methodologies and measures for transfer of knowhow from large industries to individuals or groups in the tiny and small scale sectors. The names of trustees are: Shri H. P. Nanda, Smt. Lakshmi Venkatraman, Venkatesan, Shri Mantosh Sondhi and Shri M. Z. A. Beg. The names of donors are not available.

Details of arrests made by Income-tax Department

1079. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state what are the details of arrests made by the Income-tax Department during the last three years all over the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संसद सदस्यों द्वारा सीमा शुल्क दुकानों से शस्त्रों की खरीद

1080. डा० अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क की दुकानों में शस्त्रों और गोला-बारूद के चालू स्टाक का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सीमा शुल्क विभाग से शस्त्र खरीदने के हकदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) संसद सदस्यों को बचे गए शस्त्रों के मूल्य निर्धारित करने की क्या पद्धति है ;

(घ) क्या यह सच है कि उन्हें आत्म रक्षा के लिए खरीदे गए शस्त्रों पर कोई रियायत नहीं दी जाती है और शस्त्र का मूल्य उसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में 250 प्रतिशत शुल्क जोड़ करके तय किया जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह भी सच है कि इससे पहले पांच प्रतिशत रियायत देने का उपबंध था और यहरियायत पिछले दो वर्षों के दौरान शस्त्र खरीदने वाले संसद सदस्यों को दी जाती रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत जब्तशुदा निषिद्ध और गैर-निषिद्ध बोर के आग्नेय-शस्त्रों को सीमा शुल्क विभाग के प्रयोग के लिए रख लिया जाता है । तथापि, विभाग की आवश्यकता से फालतू पाये गए गैर-निषिद्ध बोर के किसी भी शस्त्र को सामान्यतया "पहले आव और पहले पावे" के आधार पर केवल संसद सदस्यों को बेचने के लिए प्रस्ताव किया जाता है । बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में स्थित सीमा शुल्क गृहों में, इस समय गैर निषिद्ध बोर के लगभग 210 रिवॉलवर, पिस्टल और राइफल या तो विभाग के उपयोग के लिए अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ।

(ग) से (च) अक्टूबर, 1987 से मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान, आबंटितियों को ये शस्त्र उनके चालू बाजार मूल्य पर 5% की रियायत देकर बेचे गए थे । चूंकि यह महसूस किया गया कि बाजार मूल्य में बहुत अधिक और कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है, अतः यह निर्णय लिया गया था कि मार्च, 1990 से शस्त्रों का आबंटन रियायती मूल्य पर किया जाएगा जिसमें आयात मूल्य तथा 250% सीमा शुल्क की राशि शामिल होगी ।

जोधपुर में स्टाक एक्सचेंज का खोला जाना

1081. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में जोधपुर में स्टाक एक्सचेंज खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों, फर्मों या स्टाक एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिन्होंने जोधपुर में स्टाक एक्सचेंज खोले जाने का अनुरोध किया है ;

(घ) क्या जोधपुर स्टाक एक्सचेंज में सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस स्टाक एक्सचेंज के शीघ्र ही खोले जाने में कौन-कौन सी कठिनाइयां सामने आ रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस संदर्भ में ब्यौरा विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(घ) जोधपुर में प्रस्तावित स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब उसे मान्यता दी जाएगी ।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।